



नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण

(जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार)

NARMADA CONTROL AUTHORITY

संख्या:अ-12(3)/प्रशा/2702 (Ministry of Water Resources, Govt. of India) कार्यालय ज्ञापन

दिनांक: 1.8.2017



इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं: अ-12(3)/2014-15 / 1078-1090, दिनांक: 5.6.2014 एवं सं. अ-12(3)/प्रशा./1092 दिनांक 09.07.2015 में आंशिक संशोधन व निरंतर में, ननिप्रा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के चिकित्सा पुनः भुगतान के गाईडलाइन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं से अवगत कराया जाता है:

1. पूर्व में जारी ज्ञापन सं: 1092, दिनांक: 9.7.2015 के पैरा/बिन्दु 1 के संदर्भ में निर्धारित अवधि के उपरांत भी ओपीडी देयक बिना किसी उचित कारणों के प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं यह नियमानुसार मान्य नहीं है।
2. नियमानुसार भारतीय एवं हौम्योपैथी पद्धति से ओपीडी के तहत किये गये निरंतर इलाज की महत्वतम् अवधि 40 दिनों तक निर्धारित है एवं अधिकतम् चार परामर्श 10 दिनों के अन्तर से देय होंगे। दावाकर्ता/चिकित्सक अनिर्वायता प्रमाण पत्र में कय की गई दवाइयों के CSMA नियम पुस्तिका के निर्धारित सूची में उल्लेखित कम संख्या को अवश्य रूप से उल्लेख करेंगे। उल्लेख न होने पर देयको के दावा स्थगित किये जा सकते हैं। (सम्बन्धित सूची की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न)
3. सीजीएचएस. के अन्तर्गत जारी कार्या. ज्ञापन दिनांक: 23 जुलाई, 2009 में दिये गये गाईडलाइन के संदर्भ में ओपीडी दावों में भी यदि सामान्य चिकित्सक द्वारा यह सामग्री प्रेस्क्राइव होने पर भी फूड स्प्लीमेंट, कस्मेटिक जैसे त्वचा कीम, लोशन, फेशवॉश, फेश/सनकीम इत्यादि दावा खर्च अमान्य किये जायेगे।
4. ननिप्रा, प्रक्रिया के अनुसार केवल ओपीडी दावों में चिकित्सक या स्वयं द्वारा सत्यापित प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति मान्य होगी। देयकों के साथ समस्त प्रकार के इलाजों के अन्य दस्तावेज मूलरूप में संलग्न होना आवश्यक है।
5. समय-समय पर जारी केवल दरों में परिवर्तन संबंधित नये सीजीएचएस. परिपत्र लागू होंगे।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: उक्तानुसार

H. D. D. D.

(विनोद दियालानी)

उप निदेशक-प्रशासन

प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी सदस्य के निजी सहायक, ननिप्रा, इन्दौर
2. सदस्य-सिविल/विद्युत/पर्यावरण-पुनर्वास के निजी सचिव/सहायक, ननिप्रा, इंदौर
3. सचिव/मुख्य अभियंता, ननिप्रा, इंदौर।
4. समस्त निदेशक, ननिप्रा, इंदौर
5. समस्त उप निदेशक स्तर के अधिकारीगण, ननिप्रा, इंदौर/मोपाल/वड़ोदरा
6. जनसंपर्क अधिकारी, ननिप्रा, इंदौर को आवश्यक कार्रवाई हेतु
7. निजी सचिव/संपर्क अधिकारी, ननिप्रा, नई दिल्ली
8. सहायक निदेशक/अभियंता, ज.मौ.वि.उप.सं, इंदौर/मण्डला/होशंगाबाद

आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थों (अनुबंध के अलावा) को इस का.ज्ञा से अवगत करावें।

क्षेत्रीय कार्यालय: नर्मदा सदन, ब्लॉक 'बी'

स्कीम नं. 74, विजय नगर, इन्दौर 452 010

दूरभाष : मुख्य अभियंता - (0731) 2554477 स्वच्छ सुरक्षित जल - सुन्दर सुशहाल कल

निदेशक (जल विज्ञान) - 2575750 CONSERVE WATER - SAVE LIFE

निदेशक (दूरमिति) - 2575751

इ.पी.बी.एक्स. - 2575748

फैक्स - (0731) 2553469

REGIONAL OFFICE : Narmada Sadan, Block 'B'

Scheme No. 74, Vijay Nagar, INDORE - 452 010

Tel. : CHIEF ENGINEER - (0731) 2554477

DIRECTOR (H) - 2575750

DIRECTOR (T) - 2575751

EPABX - 2575748, Fax - (0731) 2553469

Email : cencaro24@yahoo.in